पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 05(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 09.05.2014 तथा पत्रांक 07(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 23.05.2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष–0010–वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड एन० 2245021010010 मद् में क्रमशः कुल 2.00 लाख (दो लाख) रूपये तथा 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार) रुपये अर्थात कुल 3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसे इस कार्यालय के आदेश क्रमशः ज्ञापांक 476/आ०प्र० दिनांक 20.05.14 एवं 501/आ0प्र0 दिनांक 27.05.2014 के माध्यम से अंचल अधिकारी, दनियावाँ एवं बिक्रम को उपावंटित किया गया है।

पुनः विशेष सचिव, अपादा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 22(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 07.07.2014 के माध्यम से उक्त शीर्ष अन्तर्गत 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार) रूपये का आवंटन इस जिले को प्राप्त है जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2014–15 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मांग संख्या–39) (विषय शीर्ष–31 06 साहायक अनुदान वेतनादि के अलावा)

(लाख रूप्ये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
01.	अंचल अधिकारी, दनियावाँ	2.00	0.00	2.00
02.	अंचल अधिकारी, बिक्रम	1.50	0.00	1.50
03.	अंचल अधिकारी, बेलछी	0.00	1.50	1.50
04.	अंचल अधिकारी, खुसरूपुर	0.00	3.00	3.00
05.	अंचल अधिकारी, सम्पतचक	0.00	1.50	1.50
06.	अंचल अधिकारी, दुल्हिनबाजार	0.00	1.50	1.50
	कुल उपावंटित राशि :–	3.50	7.50	11.00

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष – 02, बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष – 101, आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष – 0010– **वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड एन० 2245021010010** मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. उपावंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10, तथा 2013–14 में वज्रपात से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान मद् में किया जायेगा, जिसकी स्वीकृति अंचल कार्यालय, बेलछी, खुसरूपुर, सम्पतचक तथा दुल्हिनबाजार के अनुग्रह अनुदान अभिलेख संख्या क्रमाश 01/13–14, 01/10–11, 01/13–14 तथा 04/13–14 में प्रदत्त की गई है। संबंधित

Awantan

अंचल अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत वज्रपात से मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में देय राशि का भुगतान करेंगे तथा इसकी सूचना अविलंब इस कार्यालय को भी देंगे।

3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें। व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति/उपयोगिता प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में इस कार्यालय को शीघ्र भेज दिया जाय।

4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(बी०)(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2015 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-06/14-15 648 /आ०प्र०, दिनांक 12/7/14

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, बेलछी, खुसरूपुर, सम्पतचक तथा दुल्हिनबाजार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़, पटना सिटी, पटना सदर तथा पालीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, बाढ़, पटना सिटी तथा दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।

Awantan